158

(TO BE PUBLISHED IN PART IV OF THE DELHI GAZETTE EXTRAORDINARY)

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
DEPARTMENT OF TRADE AND TAXES
(GST-POLICY BRANCH)
VYAPAR BHAWAN, I.P. ESTATE, NEW DELHI-110 002

No. F.2(176)/Policy-GST/2019/ 230-39 **Dated:** 15-7-19

Notification No 29/2019- State Tax

In exercise of the powers conferred by section 168 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (03 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act) read with sub-rule (5) of rule 61 of the Delhi Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereafter in this notification referred to as the said rules), the Commissioner, on the recommendations of the Council, hereby specifies that the return in **FORM GSTR-3B** of the said rules for each of the months from July, 2019 to September, 2019 shall be furnished electronically through the common portal, on or before the twentieth day of the month succeeding such month.

2. **Payment of taxes for discharge of tax liability as per FORM GSTR-3B.** – Every registered person furnishing the return in **FORM GSTR-3B** of the said rules shall, subject to the provisions of section 49 of the said Act, discharge his liability towards tax, interest, penalty, fees or any other amount payable under the said Act by debiting the electronic cash ledger or electronic credit ledger, as the case may be, not later than the last date, as specified in the first paragraph, on which he is required to furnish the said return.

3. This notification shall come into force with effect from the 28th day of June, 2019.

(H. Rajesh Prasad)
Commissioner, GST (State Tax)

F. No. 2(176)/Policy-GST/2019/ 230-39 Dated: 15-7-19

Copy forwarded for information to:-

1. The Principal Secretary (GAD), Government of NCT of Delhi in duplicate with the request to publish the notification in Delhi Gazette Part-IV (Extraordinary) in today's date.

Scanned by CamScanner

2. The Principal Secretary, Finance Department, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
3. The Principal Secretary to the Hon'ble Chief Minister, Government of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P Estate, New Delhi.
4. The Chief Commissioner (Central Tax), Govt. of India, First Floor, CR Building, I.P. Estate, New Delhi.
5. The Secretary to the Deputy Chief Minister, Government of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P Estate, New Delhi
6. All Special/Additional/Joint Commissioners, Department of Trade & Taxes, Vyapar Bhawan, New Delhi.
7. The Special Commissioners (PR), Department of Trade & Taxes, Vyapar Bhawan, New Delhi to arrange to give wide publicity to this notification.
8. All Asstt. Commissioners/GSTOs, Department of Trade & Taxes, Vyapar Bhawan, New Delhi through their Zonal Incharges.
9. The President/Secretary, Sales Tax Bar Association (Regd.), Vyapar Bhawan, IP Estate, New Delhi
10. Guard File.

(Vivek Mittal)
Assistant Commissioner (Policy)

160

(दिल्ली राजपत्र असाधारण के भाग चार में प्रकाशनार्थ)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
व्यापार एवं कर विभाग
(जी .एस.टी.-नीति शाखा)
व्यापार भवन :आइ.पी.एस्टेट ,नई दिल्ली -110002

सं0फा0 02(176)/पॉलिसी-जीएसटी/2019/ 230-39 दिनांक: 15-7-19

अधिसूचना सं. 29/2019- राज्य कर

आयुक्त, दिल्ली माल एवं सेवा कर नियम, 2017 (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् उक्त अधिनयम कहा गया है) 61क के नियम के उपनियम 5 के साथ पठित दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम 2017 (2017 का 03) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) 168 की धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए परिषद की सिफारिशों पर यह विनिर्दिष्ट करते है कि, जुलाई 2019 से सितंबर 2019 तक प्रत्येक मास के लिए उक्त नियम के प्ररूप जीएसटीआर-3ख में विवरणी ऐसे मास के उतरवर्ती मास के बीसवें दिन को या उससे पूर्व सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से दी जाएगी ।

2. प्ररूप जीएसटीआर-3ख के अनुसार कर दायित्व के निर्वहन के लिए संदाय:- उक्त नियम के प्ररूप जीएसटीआर-3ख में विवरणी प्रस्तुत करने वाला प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, उक्त अधिनियम की धारा 49 के उपबंधों के अधीन रहते हुए पहले पैरा में यथविनिर्दिष्ट उस अंतिम तारीख के अपश्चात् जिसको उससे उक्त विवरणी को प्रस्तुत करना अपेक्षित है, उक्त अधिनियम के अधीन संदेय कर, फीस या किसी अन्य रकम के संबंध में, शास्ति ब्याज, इलेक्ट्रॉनिक नकद खाते या इलेक्ट्रॉनिक जमा खाते में, यथास्थिति, विकलन करके अपने दायित्व का निर्वहन करेगा ।

3. यह अधिसूचना जून 28, 2019 से लागू मानी जाएगी।

(एच राजेश प्रसाद)
आयुक्त, जीएसटी (राज्य कर)

Scanned by CamScanner

सं0फा0 02(176)/ पॉलिसी-जीएसटी/2019/ 230-39 दिनांक: 15-7-19

प्रतिलिपि निम्न को आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारित :-

1. प्रधान सचिव (सामान्य प्रशासन विभाग) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को एक अतिरिक्त प्रति सहित आज की तारीख में दिल्ली राजपत्र भाग – चार (असाधारण) में प्रकाशनार्थ ।
2. प्रधान सचिव (वित्त), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली
3. प्रधान सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली ।
4. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, भारत सरकार, प्रथम तल, सी.आर. भवन, आई पी एस्टेट, नई दिल्ली ।
5. सचिव, माननीय उप मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली ।
6. सभी विशेष /अतिरिक्त/ संयुक्त आयुक्त, व्यापार एवं कर विभाग, व्यापार भवन, दिल्ली ।
7. विशेष आयुक्त (पी आर), व्यापार एवं कर विभाग, व्यापार भवन, दिल्ली को अधिसूचना के प्रचार के लिए ।
8. सभी सहायक आयुक्त /माल एवं सेवा कर अधिकारी, व्यापार एवं कर विभाग, व्यापार भवन, दिल्ली को अधिसूचना के प्रचार के लिए ।
9. प्रेसीडेंट/सचिव, सेल्स टैक्स बार असोशिएशन (पंजीकृत), व्यापार भवन, आई पी एस्टेट, नई दिल्ली ।
10. गार्ड फाइल ।

(विवेक मित्तल)
सहायक आयुक्त (नीति)

Scanned by CamScanner